न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2018(रसद)
पंजीयन दिनांक 12.09.2018

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

..................प्रार्थी

बनाम

श्री पन्नालाल पिता भूरालाल तेली निवासी लाखोला थाना गंगापुर हाल श्रीनाथ होटल सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़

................विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितिः- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 09.07.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.2017 को श्री गजेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को हाईवे रोड़ सरहद भण्डारिया मे रोड़ के दक्षिणी तरफ श्री पन्नालाल तेली द्वारा लोहे के चद्दर लगा अवैध रूप से इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करने की जरिए मुखबीर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच जांच की जहां एक खेत में लोहे के चद्दर की बाउन्ड्रीवाल बनी हो अन्दर एक कमरा बना होकर कमरे के बाहर तीन लोहे के ड्रम 220 लीटर व तीन प्लास्टिक की जरीकेन 60 लीटर वाली, व 25-25 लीटर की दो की जरीकेन सफेद रंग मय एक प्लास्टिक की नली व एक प्लास्टिक का किमा व एक 5 लीटर का मेजर रखे पाए गए। लोहे के ड्रमों के पास एक व्यक्ति हाथ में किमा व नली पकडे हुए खडा था जो पुलिस जाप्ता देख किमा व प्लास्टिक की नली को छोडकर भाग गया जिसकी पहचान पुलिस जाप्ता द्वारा पन्नालाल पिता भूरालाल तेली निवासी लाखोला थाना गंगापुर हाल श्रीनाथ होटल सुभाष चौक चित्तौड़गढ़ होना की गई। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जाप्ता के सहयोग से ड्रमों के ढक्कन खोलकर देखा तो ड्रमों के अन्दर तरल पदार्थ डीजल होना पाया गया। इस प्रकार तरल पदार्थ की सही पहचान हेतु मौके पर डी.एस.ओ. को तलब करने पर श्री भंवरलाल प्रवर्तन निरीक्षक को भेजा जिसने भी उक्त ड्रमों

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 05/2018 (रसद)
राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ बनाम श्री पन्नालाल पिता भूरालाल तेली निवासी लाखोला हाल श्रीनाथ होटल सुभाष चौक चित्तौड़गढ़

में भरे तरल पदार्थ को देखकर डीजल होना बताया। इस पर उक्त स्थान व ड्रमों के आस-पास डीजल के वैध दस्तावेज संबंधी कागजात चैक किये तो नहीं मिले। उक्त डीजल का नाप किया गया तो प्रथम व द्वितीय लोहे के ड्रम के अन्दर 220 लीटर भरा हो प्रथम ड्रम के उपर अंग्रेजी में servo लिखा हो बरंग लाल व द्वितीय पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम हिन्दी में व अंग्रेजी में एचपी का मोनो बरंग लाल व तीसरे ड्रम के अन्दर भी 220 लीटर भरा हो उपर ढक्कन पर 98/5 लिखा है व दो नीले रंग की प्लास्टिक की जरीकेन 60 लीटर वाली के अन्दर प्रत्येक में 50-50 लीटर डीजल व एक काले रंग की प्लास्टिक की जरीकेन 60 लीटर क्षमता में 40 लीटर डीजल भरा पाया गया। इस प्रकार कुल तीन लोहे के ड्रमों एवं तीन जरीकेनों में कुल 800 लीटर डीजल अवैध भरा होना पाया गया। भरे हुए लोहे के ड्रमों एवं जरीकेनों में से 750-750 एमएल की कांच की बोतलों में डीजल निकाल कर सील चिट कर नमुना सेम्पलों को क्रमशः ए-1 से ए-6 व कन्ट्रोल सेम्पलों को क्रमशः बी-1 से बी-6 अंकित किये तथा शेष बचे डीजल को उन्हीं ड्रमों एवं जरीकेनों मे रहने दिया जाकर चिट चस्पा किये गये। मौके पर मिले एक प्लास्टिक की नली व एक प्लास्टिक का किमा व एक 5 लीटर मेजर को जरिये फर्द जब्त कर चिट चस्पा किये। इस प्रकार श्री पन्नालाल पिता भूरालाल तेली निवासी लाखोला हाल श्रीनाथ होटल सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ द्वारा लोहे के चद्दरों की आड लगाकर अवैध रूप से कुल 800 लीटर डीजल टेंकरों से चोरी कर निकाल कर खरीद फरोक्त करना धारा 3/7 ई. सी. एक्ट व 379 भा. द. सं. का अपराध पाया जाने से कुल 800 लीटर डीजल मय अन्य सामग्री को जब्त कर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा डीजल व अन्य उपकरणों को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षी पन्नालाल पिता भूरालाल तेली एक खेत में लोहे के चद्दरों की आड लगाकर एक कमरे के बाहर अवैध रूप से डीजल की खरीद फरोक्त करते पाया तथा कमरे के बाहर तीन लोहे के ड्रम व तीन प्लास्टिक के जरीकेन मे कुल 800 लीटर डीजल व एक प्लास्टिक का किमा,

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एक प्लास्टिक की नली व 5 लीटर मेजर मौके पर पाये गये तथा उक्त स्थान पर कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 800 लीटर डीजल मय अन्य उपकरण व सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः दिनांक 17.12.2017 को जब्तशुदा 800 लीटर डीजल मय तीन लोहे के ड्रम, तीन प्लास्टिक की जरीकेन, एक प्लास्टिक का किमा, एक प्लास्टिक की नली व 5 लीटर माप के मेजर आदि सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 800 लीटर डीजल मय अन्य उपकरणों/सामग्री आदि को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)